



# सबका होगा अपना घर

ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु किफायती

## रेरा निबंधित प्रोजेक्ट

पंजीकरण पुस्तिका



RERA Regn. No.: UPRERAPRJ15656

विकय मूल्य रू 300/— मात्र (जी.एस.टी. सहित)



#### ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में प्र प्रस्तावित राजगुरू एनक्लेव — ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एवं भगत सिंह एनक्लेव — एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना



#### विवरण पुस्तिका

इस बुकिंग फार्म में वर्णित सभी विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू—सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहाँ तक संशोधिन करना सभीचीन होगा। और यदि आवश्यक हुआ तो भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारुपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

#### 1. योजना का विवरण

प्रस्तावित योजना – ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ विकासकर्ता कम्पनी – ओमेक्स लिमिटेड

#### 2. भवनों के नाम

राजगुरू एनक्लेव – ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) भगत सिंह एनक्लेव – एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

#### 3. पंजीकरण हेत् पात्रता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,
   किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना मूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक को ई.डब्लू एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय क्रमशः रु० 3,00,000 / – व रु० 6,00,000 / – से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें).
- आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

#### 4. भवनों का विवरण

भवनों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (कारपेट एरिया)	भवनों की संख्या	भवनों के तलो की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू०)	पंजीकरण धनराशि (रू०) (पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि प्रतिशत (%) में	अवशेष 90% धनराशि की भुगतान पद्धति
राजगुरू एनक्लेव ई.डब्लू एस. (दुर्बल आय वर्ग)	35.95 37.07	28.06 28.06	270 120	G+9	₹5,94,000 ₹6,12,500	₹30,000 ₹30,000	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण घनराशि घटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में
मगत सिंह एनक्लेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)	41.34 42.18	32.89 32.89	80 160	G+9	₹11,66,500 ₹11,90,000	₹58,500 ₹58,500	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि धटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में

#### नोट:

- 1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयो की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 से 11 पर उपस्थित मानचित्रों के साथ दी गयी है।
- उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
- 4. आवंटन के पश्चात वांछित / देय धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अविध में आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर 15% अथवा रेरा अनुसार निर्धारित ब्याज दर से देय होगा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू—सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।
- 5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित घनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
- 6. भूतल पर भवनों के मूल्य का 5%, प्रथम तल पर 4% एवं द्वितीय तल पर 3%, अतिरिक्त देय होगा।
- 7. प्रस्तावित राजगुरू एनक्लेव ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों मे 35.95 व 37.07 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, भवन मे एक लिविंग / बेडरुम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा भगत सिंह एनक्लेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों मे 41.34 व 42.18 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व भवन मे एक लिविंग रुम, एक बेडरुम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
- विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।





#### 5. ਲੂਟ

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के पश्चात पूर्ण भुगतान करने पर सूचित विक्रय मूल्य 90% की घनराशि पर 8% की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

#### 6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवंदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवंदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

#### ७ आरक्षण

7.1 शासनादेश के अनुसार राजगुरू एनक्लेव (ई.डब्लू,एस.) तथा भगत सिंह एनक्लेव (एल.आई.जी.) श्रेणी मे आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछडा वर्ग	27
4.	विघायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिजोन्टल

- 7.2 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणापत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।
- 7.3 राजगुरू एनक्लेव (ई.डब्लू,एस.) तथा भगत सिंह एनक्लेव (एल.आई.जी.) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारुप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।
- 7.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनो हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरुप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।
- 7.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से हैं जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- 7.6 आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत / सेवानिवृत सुरक्षा सैनिक से है।
- 7.8 अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।
- 7.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम—1994) अधिनियम संख्या—4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिको को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदको की सुविधा का लाम अनुमन्य नहीं होगा।
- 7.10 बिन्दु 7.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 7.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।
- 7.12 भविष्य में प्रदेश / केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना / नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जाऐगें।
- 7.13 प्रधानमन्त्री आवास योजना के दिशा निर्देश / नियम शर्ते भी यदि इस योजना पर लागू होती है तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।





#### ८ आवंटन

- 8.1 भवनों का आंवटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।
- 8.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाईट www.omaxe.com पर उपलब्ध होगा।
- 8.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी मे नही आते है उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी मे निहित रहेगा।
- 8.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रदद दिये जायेगें।
- 8.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन—पत्र व अन्य सूचना उसे रिजस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जात है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8.6 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

#### 9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 9.1 असफल आवेदको का आवंटन न होने की दशा में 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण घनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 9.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 10 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जोकि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

#### 10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन / निबन्धन / अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

#### 11. फ्री-होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित भवन की भूमि का फ्री-होल्ड के रुप में भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत अनुबन्ध / निबन्धन के पूर्व देय होगा।

#### 12. फ्लैट्स का कब्जा :

- 12.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।
- 12.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
- 12.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क / चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 12.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय, दैविक आपदा एवं ऐसी समस्त परिस्थितियाँ जोकि विकासकर्ता के उचित नियंत्रण के परे हों, आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।
- 12.5 आवंटन की तिथि के 3 वर्ष के भीतर भवन पूरा कर पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को भवन का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।
- 12.6 आवंटन की तिथि से 3 वर्ष में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई घनराशि का 15% अथवा रेरा अनुसार निर्धारित वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू—सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगी।
- 12.7 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवंदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।





#### 13. शुल्क / कर आदि की देयता

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

#### 14. अन्य सामान्य नियम व शर्ते :

- 14.1 आवंटन के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें / नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 14.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 14.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

#### 15. पंजीकरण प्रक्रिया

- 15.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू० 300.00 (जी.एस.टी. सहित) नगद मुगतान पर कार्य दिवसों में निर्दिष्ट **एक्सिस बैंक** शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
- 15.2 पंजीकरण प्रपत्र ओमेक्स लिमिटेंड की वेबसाइट www.omaxe.com से डाउनलोंड करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रू० 300.00 (जी.एस.टी. सहित) का अलग से भुगतान करना होगा।
- 15.3 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 21 मई 2018 से 20 जून 2018 तक किसी भी कार्य दिवस में एक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनक, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद (शहरी क्षेत्र) की सभी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

#### 16. विवरण पुरितका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरे।

- 16.1 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2018 होगी।
- 16.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रू० 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुथे आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 16.3 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में अंतिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते है।
- 16.4 पंजीकरण धनराशि का ड्रापट/पे-आर्डर, ओमेक्स लिमिटेड लखनऊ के पक्ष में देय होगा।

#### 17. पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक : जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।

एक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद (शहरी क्षेत्र) की सभी शाखाओं से।

#### 18. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश:

- 18.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
- 18.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।
- 18.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।
- 18.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदको का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।





18.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते है।

#### 19. मुगतान पद्धति :

19.1 नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 45 दिन की अवधि मे पूर्ण भुगतान)

19.2 स्ववित्त पोषित (आवंटन राशि के पश्चात् अवशेष 90% धनराशि बारह समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

### 20. जाँच-सूची (CHECK LIST)

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

	CHECK LIST (जाँच-सूची)	
1. आ	वेदन—पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है?	
2. зп	वेदन-पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदको के हस्ताक्षर है?	
3. बुवि	केंग धनराशि का चैक सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है?	
4. зп	वेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?	
5. मूल	निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?	
6 эпч	1थ-पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी द्वारा सत्यापित है?	









ई.डब्लू.एस. यूनिट प्लान



बेल्टअप एरिया	35.95 덕 37.07 덕	वर्ग मीटर
नरपेट एरिया	28.06 वर्ग मीटर	







ई.डब्लू.एस. यूनिट प्लान



मिडिल यूनिट प्लान — यूनिट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 के लिए

बिल्टअप एरिया	35.95 वर्ग. मी.
कारपेट एरिया	28.06 वर्ग. भी.



कार्नर यूनिट प्लान — यूनिट संख्या 1, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 32, 33, 39 के लिए

बिल्टअप एरिया	37.07 वर्ग. मी.
कारपेट एरिया	28.06 वर्ग. मी.









बिल्टअप एरिया	41.34 व 42.18 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	32.89 वर्ग मीटर









बिल्टअप एरिया	41.34 व 42.18 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	32.89 वर्ग मीटर







एल.आई.जी. यूनिट प्लान



यूनिट प्लान — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1	
बिल्टअप एरिया	42.18 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	32.89 वर्ग मीटर



यूनिट प्लान – 2, 5, 8, एवं	
बिल्टअप एरिया	41.34 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	32.89 वर्ग मीटर







### Specifications

Location	Floor/painting	Door/window	Other	
Drawing cum Bed Room	Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint		
Kitchen	Ceramic floor Tiles • OBD     600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with CC kitchen top	
Toilet	Ceramic floor Tiles C.C. Dado upto 900 mm OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	W.C. Indian type with one tap     one tap in bath	
Balcony/Varandah	Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin	
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure			
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point			
Exterior	Cement Based Exterior Paint			



## Specifications

Location	Floor/painting	Door/window	Other	
Drawing Room, Bedroom	Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint		
Kitchen	Ceramic floor Tiles • OBD     600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with Kota/Marble kitchen top	
Toilet	Ceramic floor Tiles     C.C. Dado upto 1200 mm     OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	Indian W.C/E.W.C with wash basin	
Balcony/Varandah	Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin	
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure			
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point			
Exterior	Cement Based Exterior Paint			





#### रू.10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी	जम्	वर्ष
पुत्र/पुत्री/पत्नी	निवासी	शपथ पूर्वक
बयान करता/करती हूँ:		
शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाष	/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजी मा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विव तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।	
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	ाथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योज नवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया	
	वेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या वंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूख त्त कम्पनी को दूँगा/दूँगी।	
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश	ा के किसी नगर में एक से अधिक मूखण्ड/भवन नहीं है।	
1500 - 14 - 1480 1480 1880 1880 - 1480 1880 1880 1880 1880 1880 1880	कि गत वित्तिय वर्ष में समस्त स्रोतों से रिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सिंग	
ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य जान—बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे	
		शपथकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापनः		
मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक करता / करती हूँ विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ मी वि	्कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक दी गयी छेपाया नहीं गया है।	सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं
		शपथकर्ता के हस्ताक्षर





## राजगुरू एनक्लेव ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) विवर्तेव एवस्तेव एवस्तेव एवं मगत सिंह एनक्लेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) भवनों हेतु आवेदन-पत्र फार्म संख्या......

। योजना का नाम			
2 आवेटक का नाम (हिन्टी में) 1		2	
(शंगेजी में) +		3	आवेदक का
(अंग्रजान)।.	Destination of the second seco	2	नवीनतम फोटो
). विवार वाव का नान 1	a	2(संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जायें)	अनिवार्य है।
). oily 1.	← → Λ	(संयुक्त आपदन का दशा न ।वपरण नरा आय)	Mildid 61
. पता (अ) वतमान पता (पत्र व्यवह	14 ed)	त्रीफोन नं0	
ब) स्थायी पता		त्रीफोन नंo	
	पिनकोडटेर	त्रीफोन नं0	
. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी क	चल्लेख करें)		
आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग	न करना अनिवार्य है)		
<ul> <li>पंजीकरण घनराशि की वापसी हे</li> </ul>	तु आवेदक के बैंक खाते का विवरण	ग	आवेदक का
कि का नाम	शाखा का नाम		नवीनतम फोटो
		सी कोड	अनिवार्य है।
		ब्ल्यू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)	20.1313.393
ांजीकरण घनराशि रू०	(शब्दों में)	8	
		प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)	
10. आवेदक के परिवार के आश्रित	सदस्यों का विवरण —		
AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		
नाम	आयु	सम्बन्ध	
		Services attended to the control of	
)			
}			
***************************************		***************************************	
होई माग असत्य नहीं है। मैं∕हम गासनादेश संख्या— 1था मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रं	ग मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ मी छुपाया हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— में भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	। एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच
होई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार्य प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रं	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— में घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई	। एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच
होई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार्य प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रं	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— में घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई	। एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— में घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई	। एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार्य अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार्य अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई व को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर अंलग्नक:	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई व को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार गिकार होगा। गावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर नंलग्नक:	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई व को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार गिकार होगा। गावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर नंलग्नक:	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर अंलग्नक:	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रें ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— ो भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई व को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक : 1.	घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/ मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं/हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	ा एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम में दिए गए हैं को भली— भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम शासनादेश संख्या— था मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम प्राप्तनादेश संख्या— प्राथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय प्रधिकार होगा। सावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम प्राप्तनादेश संख्या— प्राथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय प्रधिकार होगा। सावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
होई माग असत्य नहीं है। मैं / हम गासनादेश संख्या— गथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें हा कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाय अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ । मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम  में दिए गए हैं को भली—  भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिव  नाम  नाम  के प्रयोग हेतु  के का नाम/शाखा	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। भैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक : 1. 2. 3. 4. देनांक	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ । मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई माग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने / मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1 1 वैंकविकासकर्ता कम्पनी के खाते में ह	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई भाग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार प्रधिकार होगा। प्रावेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक :	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने /  मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे  ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई माग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक : 1. 2. 3. 4. देनांक	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने /  मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे  ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई माग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक : 1. 2. 3. 4. दिनांक	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने /  मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे  ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्तों को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का
कोई माग असत्य नहीं है। मैं / हम हासनादेश संख्या— तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पार अधिकार होगा। आवेदकों / आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक : 1. 2. 3. 4. देनांक	घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने /  मानने के लिए बाघ्य हूँ। मैं / हम रे  ो जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी  1	हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम	एवं शर्ती को जो मांति पढ़/समझ लिया कोई सूचना अथवा सूच क कार्यवाही करने का





आवेदक का नवीनतम फोटो अनिवार्य है।

#### घोषणा-पत्र


- 1. मैं / हम भारत का नागरिक हूँ / हैं।
- 2. मेरे या मेरे परिवार (पित / पत्नी तथा आश्रित / अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास लखनऊ नगर में, लखनऊ विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् / अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन / मूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित मूखण्ड / भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि मूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने / दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत मूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि मू-राजस्व की मांति मुझसे वसूल कर ले।
- 3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भूगतान करूँगा / करूँगी।
- 4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य है।
- 6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

साक्षी			आवेदक के हस्ताक्षर	
\(\frac{1}{2}\)		<del>-</del>	9	





## Location Map





## ओमेक्स लिमिटेड

आंचलिक कार्यालय साईबर टावर, द्वितीय तल, TC-34/V2, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कॉर्पोरेट कार्यालय

7, एल. एस. सी., कालकाजी, नई दिल्ली वेबसाइट www.omaxe.com